

फर्द अहकाम
(नियम 26)

दालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बाबू लाल

बनाम

दरगान लाल

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 615/2025

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27-11-25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती बाबू लाल गुर्जर

पिता श्री मांगी लाल गुर्जर

निवासी- काठोडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम काठोडिया

प.ह. नो. 418, 419, 427, 437, 438, 442, 443, 445, 446 स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....

0.2, 0.2, 0.19, 0.42, 0.08, 0.32, 0.22, 0.68, 0.35

कुल कीता 0.9 कुल रकबा 2.6600 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम काठोडिया प.ह. नो. 418, 419, 427, 437, 438, 442, 443, 445, 446 स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 0.2, 0.2, 0.19, 0.42, 0.08, 0.32, 0.22, 0.68, 0.35

कुल कीता 0.9 रकबा 2.66 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रुपये अक्षरे एक हजार मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीन देवल)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)